निर्णय वइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 49/2016
दायरा दिनांक :– 31.05.2016
निर्णय दिनांक :–23.09.2019

उनवान

1. चम्पालाल पुत्र रामबक्श जाति मीना
2. कल्याण पुत्र रामबक्श जाति मीना
3. भूली पुत्री रामबक्श जाति मीना निवासीगण ग्राम पाली तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)।

बनाम

1. मनसिंह पुत्र भोला
2. प्रेमनारायण पुत्र मानसिंह
3. शिवचरण पुत्र मानसिंह
4. अरविन्द पुत्र मानसिंह
5. भजन पुत्र मानसिंह
6. नीरज पुत्र मानसिंह जातियान मीना निवासीगण पाली तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)।

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :–23.09.2019

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हेमन्त पारीक – वादी
2. श्री सोमेश गालव – प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगणों के धारा 188 आर.टी.ए. विरूद्ध इस आशय का इस न्यायालय मे पेश किया गया है, वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबड़ा मे भूमि खसरा नंबर 68/579 रकबा 02 बीघा, खसरा नंबर 69/2 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कुल किता दो रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त मे अवस्थित चली आ रही है। उक्त भूमियात ग्राम पाली में काकड से लगवां स्थित है, तथा उक्त भूमि से लगवां ग्राम पाली के माल मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण ग्राम पाली के माल मे स्थित भूमि की आड में वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम मदनाखेडी के माल मे स्थित भूमियात को अपनी भूमि मे मिलाकर जबरन बलपूर्वक कब्जा करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है।

वादीगण वृद्व व्यक्ति है, तथा प्रतिवादीगण नौजवान है, जिन्होने ग्राम पाली मे अवैध समूह बना रखा है, जो शक्ति के बल पर अवैधानिक रूप से लोगो को परेशान करते रहते है, तथा वादीगण के वृद्वावस्था एवं कमजोरी का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादीगण अवैधानिक तरीके से वाद मे वर्णित वादीगण की भूमि पर जबरान बलपूर्वक कब्जा करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

वर्णित भूमियात पर ट्रेक्टर से हंकाई करने एवं अपनी भूमि में मिलाने का असफल प्रयास किया तथा वादीगण द्वारा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हुए तथा जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की धोंस दी। अतः यही दिनांक बिनायदावा कायम की जाती है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है, कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की डिक्री फरमायी जावे, कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 68/578 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 69/02 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम मदनाखेडी व वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान नही करे, तथा प्रतिवादीगणो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक प्रतिवादीगणो की ओर से राजकीय लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 शिविर दिनांक 08.06.2017 पाली में उभयपक्षकारान की उपस्थिति दर्ज होने पर आपसी समझाईश से वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कराने पर दोनो पक्षो की सहमति हुई, जिसमें पैमाईश करने हेतु तहरीर जारी कर सम्बन्धित पटवारी को पैमाईश कर पैमाईश रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश रिपोर्ट पेश की गई, जो दिनांक 15.12.2017 को इस न्यायालय मे प्राप्त हुई। पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 68 का कुल रकबा 13.15 बीघा व खसरा नंबर 69 का कुल रकबा 21.17 बीघा जो कि खसरा नंबर 68 को कुल चार खातेदारो को व खसरा नंबर 69 का तीन खातेदारो को ऐलोट किया गया है, जो कि कब्जा अनुसार जिनका भी नक्शे मे तरमीम नही है। ऐसी स्थिति में पैमाईश किया जाना सम्भव नही है। चूकि उक्त खसरा नंबरान में 3–4 बीघा भूमि खाल खद्दर मौजूद है। समस्त ऐलोटी मौके पर भिन्न–भिन्न कब्जे काश्त है।

अभिभाषक प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में कनल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2065–68 पेश की है। अभिभाषक प्रतिवादी की ओर से कोई जवाबदावा व दस्तावेज पेश नही किया गया है। सीधे बहस करना चाहते है।

उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है, कि ग्राम मदनाखेडी तहसील छबड़ा मे भूमि खसरा नंबर 68/579 रकबा 02 बीघा, खसरा नंबर 69/2 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कुल किता दो रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त मे अवस्थित चली आ रही है। उक्त भूमियात ग्राम पाली में काकड से लगवां स्थित है, तथा उक्त भूमि से लगवां ग्राम पाली के माल मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण ग्राम पाली के माल मे स्थित भूमि की आड में वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम मदनाखेडी के माल मे स्थित भूमियात को अपनी भूमि मे मिलाकर जबरन बलपूर्वक कब्जा करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है। वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 68/578 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 69/02 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम मदनाखेडी व वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान नही करे, तथा प्रतिवादीगणो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा वादी का वाद स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नही है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 ग्राम मदनाखेडी का अवलोकन करने पर पाया कि खाता संख्या 46 खसरा नंबर 68/578 एवं खसरा नंबर 69/02 किता 2 रकबा 3.17 बीघा भूमि में खातेदार चम्पालाल, कल्याण पिता रामबक्श, भूली पुत्री रामबक्श जाति मीणा खाते दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी वादीगणो के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर बेदखल करना चाहते है, जबकि

उपखण्ड अधिकारी
जिला बारॉ (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि पर कब्जा कर बेदखल करने को कोई अधिकार नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबड़ा खसरा नंबर 68/578 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 69/02 रकबा 1.17 बीघा किता 2 रकबा 3.17 बीघा जो वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे, और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तदनुरुप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा

Scanned by CamScanner